

फर्द अहकाम
अज अदालत अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या 1,
किशनगढ अजमेर (राज0)
 नरेन्द्र सिंह बनाम श्रीमती सोनू कंवर
 दीवानी विविध संख्या 11/25

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.05.2026	<p>श्री राजेन्द्र शर्मा, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित। श्री प्रतीक मेहता, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीया की ओर से उपस्थित। इस प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई।</p> <p>दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी नरेन्द्र सिंह ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम का इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिस प्रार्थना पत्र संख्या 36/23 को दर्ज कर जो नोटिस अप्रार्थीया को जारी किए गए वे नोटिस कभी भी अप्रार्थीया को प्राप्त नहीं हुए। इस कारण अप्रार्थीया नियत पेशी पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाई, जिसके कारण न्यायालय ने अप्रार्थीया के विरुद्ध दिनांक 12.12.2023 को एकपक्षीय डिक्री पारित कर दी। इस आदेश की जानकारी अप्रार्थीया को दिनांक 28.02.2025 को हुई, जिसके पश्चात उसने दिनांक 20.03.2025 को विहित समय सीमा अवधि में यह हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया। यदि उक्त एकपक्षीय डिक्री अपास्त नहीं की गई तो अप्रार्थीया अपना समुचित पक्ष न्यायालय के समक्ष नहीं रख पायेगी। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण में पारित एकपक्षीय निर्णय व डिक्री को अपास्त कर अप्रार्थीया को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे।</p> <p>इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र का मौखिक विरोध करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीया सोनू कंवर को जो नोटिस जारी किए गए, उस नोटिस की पुश्त पर तामिल कुनिन्दा ने यह स्पष्ट रूप से रिपोर्ट की है कि “अप्रार्थीया सोनू मौके पर मौजूद मिली। अप्रार्थीया के पापा व भाई भी मौजूद थे, जिन्होंने नोटिस व नकल प्राप्त कर नोटिस की फोटो भी ले ली, फिर नोटिस लेने से इंकार किया।” इस तरह यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीया को व उसके परिवारजन को उक्त नोटिस की विधिवत तामिल हो गई थी। अप्रार्थीया ने बावजूद नोटिस की तामिल विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित रहने का कोई कारण दर्शित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे।</p> <p>हमने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय के समक्ष पूर्व में लंबित प्रकरण संख्या 36/23 नरेन्द्र सिंह बनाम सोनू कंवर में अप्रार्थीया सोनू कंवर को दिनांक 09.05.2023 को नोटिस जारी किए गए, जिस नोटिस की पुश्त</p>	

पर यह रिपोर्ट आई कि " मैं कैलाशचुद ता.कु. हल्प से रिपोर्ट करता हूं कि आज दिनांक 30.05.2023 को नोटिस में लिखे पते पर जाकर श्रीमती सोनू कंवर पुत्री मोहन सिंह की मौके पर जाकर पूछताछ की तो मौके पर मिल गई। मोके पर सोनू के पापा व भाई भी मौजूद थे। नोटिस नकल पढकर नोटिस की फोटो भी ले ली, फिर नोटिस लेने से इंकार किया। अतः तामील रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा में पेश है।"

इस नोटिस में अंकित पता ही अप्रार्थीया ने हस्तगत प्रार्थना पत्र में अंकित किया है। इस तरह यह तो स्पष्ट है कि अप्रार्थीया इस नोटिस पर अंकित पते पर ही निवास करती है। तामिल कुनिन्दा कैलाशचंद द्वारा उक्त रिपोर्ट सहायक नाजीर के समक्ष उपस्थित होकर शपथ के साथ प्रस्तुत की गई है। इस नोटिस पर लाल पेन की स्याही से यह भी अंकित किया है कि तामिल कुनिन्दा द्वारा प्रार्थी की निशादेही से तामिल करवाई जावे। परंतु इस नोटिस की पुश्त पर प्रार्थी के कोई हस्ताक्षर नहीं है। इसके अतिरिक्त इस नोटिस के पुश्त पर तामिल कुनिन्दा द्वारा आसपास के किसी व्यक्ति की भी गवाही नहीं करवाई गई है। इसके अतिरिक्त यदि उक्त एकपक्षीय निर्णय व डिक्री को अपास्त नहीं किया गया तो अप्रार्थीया अपना समुचित पक्ष न्यायालय के समक्ष नहीं रख पायेगी। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी स्वीकार कर इस न्यायालय द्वारा दीवानी विविध प्रार्थना पत्र संख्या 36/23 नरेन्द्र सिंह बनाम श्रीमती सोनू कंवर में पारित आलोच्य निर्णय व डिक्री दिनांकित 12.12.2023 को अपास्त किया जाता है एवं कार्यालय लिपिक को यह आदेशित किया जाता है कि वह हस्तगत प्रार्थना पत्र को पुनः उसी नंबर पर दर्ज करे एवं उभय पक्षकारों को यह आदेशित किया जाता है कि वे दिनांक 24.06.2026 को इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहे।

आदेश सुनाया गया। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर संलग्न मूल पत्रावली रहे।

(संदीप आनन्द)

